प्रेस नोट **दिनांक 19/07/2026**

नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.07.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास से सूचना पर मु0अ0सं0 97/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त कुलदीप उर्फ अंशू पुत्र राकेश सा0 कोर्रां थाना मंझनपुर जनपद कौशांबी कही भागने की फिराक में बरलाई मोड़ के पास से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कुलदीप उर्फ अंशू पुत्र राकेश सा0 कोर्रां थाना मंझनपुर जनपद कौशांबी उ0प्र0

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 97/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 9500 /-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित, मरगुबुल हक निवासी वाजिदपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ मोबाइल- रेडमी साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिवार परामर्श समिति की बैठक की गयी जिसके प्रयास से 03 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 56 मामलों में से 19 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 19.07.2026 को परिवार परामर्श समिति की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के समक्ष कुल 56 मामले आये जिसमें परिवार परामर्श समिति के सदस्यो के प्रयास से 19 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 03 दंपति रुचि/अमित,आसमां/इम्तेयाज,उम्मेसलमा/मसूद हैं। आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 16 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी तथा 02 पर एफ आइ आर, शेष अन्य मामलों के निस्तारण हेतु समिति की बैठक की अगली तारीख 26.07.2026 दी गयी है। परिवार परामर्श समिति की बैठक में अर्चना उपाध्याय ,सर्वेश दूबे,शाहिद पैरिस ,मौलवी अरशद रहे ।

साथ में महिला थाना प्रभारी कल्पना मिश्रा,एस आई समरजीत यादव,इन्द्रभूषण पांन्डे,महिला आरक्षी पूनम पाल,राजलक्ष्मी त्रिपाठी उपस्थित रहे ।

प्रेस नोट

19/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण –

1. थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रमाशंकर मौर्य पुत्र विश्वनाथ निवासी उतराई थाना रामपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बहु - बेटी को जागरूक करने के लिये जनपद के विभिन्न थानो द्वारा 'बहू-बेटी सम्मेलन' का किया गया आयोजन-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा समस्त क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व समस्त थानों द्वारा आज दिनांक 19.07.2026 को अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत बिभिन्न जगहों पर 'बहू-बेटी सम्मेलन' का आयोजन किया गया।

सम्मेलन के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध, बाल विवाह निषेध, महिला एवं बाल अधिकारों तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या उत्पीड़न की दशा में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं को सुना गया तथा उनका त्वरित एवं विधिसम्मत निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया। साथ ही उन्हें साइबर ठगी, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक किया गया।

सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं बालिकाओं ने सहभागिता कर महिला सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 19.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 33 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 469 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 07 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।